भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 737

गुरूवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक)

देश में रोजगार बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास

737. श्री विजय पाल सिंह तोमरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा विगत चार वर्षों के दौरान लागू की गई प्रभावी नीतियों के कारण देश में रोजगार की दर में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो बेरोजगारी को रोकने और रोजगार में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) एवं बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

(% में)

वर्ष	डब्ल्यूपीआर	यूआर
2020-21	52.6	4.2
2021-22	52.9	4.1
2022-23	56.0	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों दर्शाते हैं कि रोजगार को दर्शाने वाले डब्ल्यूपीआर में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति है और बेरोजगारी दर में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से दिनांक 19.01.2024 तक, योजना के तहत 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति अनुबंध-I पर है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 31.01.2024 तक, 83.67 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति अनुबंध-II पर है।

सरकार द्वारा, स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक के राज्य-वार आंकड़े अनुबंध-III में दिया गया है।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिससे 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं की प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-IV से VII में है।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 08.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 737 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एबीआरवाई लाभार्थियों का विवरण (19.01.2024 तक)

राज्य	**लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या**	**लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुल	36	479
आंध्र प्रदेश कुल	4044	166966
अरुणाचल प्रदेश कुल	17	514
असम कुल	670	19908
बिहार कुल	1213	28553
चंडीगढ़ कुल	1584	64817
छत्तीसगढ़ कुल	2951	85103
दिल्ली कुल	3146	227677
गोवा कुल	542	20948
गुजरात कुल	15579	644031
हरियाणा कुल	7640	400596
हिमाचल प्रदेश कुल	2164	83382
जम्मू और कश्मीर कुल	891	19384
झारखंड कुल	2248	62776
कर्नाटक कुल	11010	486860
केरल कुल	2733	96352
लद्दाख कुल	17	190
मध्य प्रदेश कुल	6257	205814
महाराष्ट्र कुल	22448	978893
मणिपुर कुल	58	1695
मेघालय कुल	39	1224
मिजोरम कुल	15	377
नागालैंड कुल	17	234
उड़ीसा कुल	4195	89357
पंजाब कुल	6550	171012
राजस्थान कुल	11481	326589
सिक्किम कुल	113	3766
तमिलनाडु कुल	16761	818054
तेलंगाना कुल	5392	283315
त्रिपुरा कुल	150	5440
उत्तर प्रदेश कुल	12414	433665
उत्तराखंड कुल	2425	93505
पश्चिम बंगाल कुल	7710	227637
सकल योग	**152510**	**6049113**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

राज्य सभा के दिनांक 08.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 737 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 30.01.2024 तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के लिए लाभार्थियों के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आंकड़ें

क्र. सं.	राज्य	योग्य आवेदन				स्वीकृत				संवितरित				संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)			
		वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22- 23	वि.व. 23-24	वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22-23	वि.व. 23-24	वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22- 23	वि.व. 23-24	वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22- 23	वि.व. 23-24
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	420	207	289	137	395	141	218	195	387	146	186	180	3,869,000.00	2,020,000.00	3,990,000.00	4,265,000.00
2	आंध्र प्रदेश	148,092	103,117	95,491	160,016	117,831	81,787	49,693	179,941	112,733	82,182	47,867	180,254	1,120,334,407.52	934,134,334.00	864,674,682.00	2,687,935,200.00
3	अरुणाचल प्रदेश	3,088	1,354	1,733	1,736	1,839	876	2,040	2,194	1,588	1,105	1,799	2,181	15,865,501.00	13,119,900.00	31,349,000.00	43,430,000.00
4	असम	22,513	50,782	27,976	67,854	15,817	43,191	23,848	66,845	14,158	42,674	23,562	65,671	141,174,900.00	446,696,700.00	367,440,882.00	945,543,490.00
5	बिहार	67,904	25,280	26,790	88,909	33,880	15,749	11,892	85,409	28,856	19,532	10,240	65,933	284,845,887.60	201,684,209.00	173,936,682.00	861,932,757.00
6	चंडीगढ़	3,007	2,293	3,181	1,386	2,148	1,573	1,866	2,704	2,051	1,593	1,891	1,901	20,394,344.00	17,720,282.00	34,360,000.00	37,760,000.00
7	छत्तीसगढ	66,788	16,344	31,600	26,598	41,015	9,274	11,741	46,102	40,294	9,240	11,152	39,955	399,327,090.20	120,163,000.00	202,183,895.00	662,990,201.00
8	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	1,590	162	659	686	1,123	148	435	1,330	1,031	228	300	1,466	10,273,524.00	2,430,000.00	5,294,950.00	23,095,000.00
9	दिल्ली	46,246	21,595	70,337	165,463	33,062	10,297	33,610	141,385	31,163	11,066	27,108	117,042	309,444,999.00	115,669,230.00	369,915,494.00	1,383,249,669.00
10	गोवा	1,170	475	782	505	1,028	415	499	590	1,017	393	471	534	10,105,105.00	5,667,000.00	10,605,000.00	13,135,000.00
11	गुजरात	133,190	149,593	131,550	304,384	106,659	114,095	103,901	254,072	102,285	111,507	99,801	247,333	1,015,394,744.08	1,280,089,624.00	1,674,543,015.00	3,537,772,957.00
12	हरियाणा	30,036	22,442	21,410	207,296	17,807	12,629	12,068	136,683	16,944	11,613	12,158	106,507	167,796,648.60	137,484,718.00	209,599,450.00	1,232,505,868.00
13	हिमाचल प्रदेश	3,309	1,364	2,925	2,536	2,812	1,243	2,046	2,862	2,767	1,244	2,003	2,770	27,575,669.00	18,909,000.00	46,298,000.00	62,203,100.00
14	जम्मू और कश्मीर	14,139	4,523	10,848	5,001	11,898	3,839	5,199	5,113	11,517	4,066	4,964	4,175	115,001,100.00	53,764,800.00	101,004,000.00	111,410,000.00
15	झारखंड	32,763	15,537	19,999	70,076	22,545	8,288	8,815	60,783	22,025	8,378	7,467	51,500	218,912,960.60	99,130,900.00	130,003,000.00	635,799,950.00
16	कर्नाटक	153,400	44,655	110,364	250,284	114,447	46,185	78,315	239,545	107,969	45,545	68,146	238,090	1,076,028,012.99	571,805,315.00	1,199,663,600.00	3,382,824,561.00
17	केरल	9,217	4,129	6,641	103,674	8,143	3,352	5,530	86,043	8,053	3,380	5,139	77,931	79,999,706.42	53,729,000.00	105,805,367.00	856,622,843.00
18	लद्दाख	270	102	270	264	249	78	216	241	247	73	214	203	2,470,000.00	1,320,000.00	4,510,000.00	4,770,000.00
19	मध्य प्रदेश	410,291	267,072	260,729	439,493	324,015	197,836	175,570	462,057	313,750	199,555	170,505	406,061	3,119,326,701.00	2,421,026,611.00	3,042,977,823.00	6,797,304,514.00
20	महाराष्ट्र	241,354	62,046	384,269	518,661	169,490	44,403	238,256	507,424	149,105	60,749	211,281	440,409	1,481,235,647.87	730,258,777.00	2,684,221,953.00	5,449,159,543.00
21	मणिपुर	14,104	2,136	4,517	1,299	6,773	1,863	2,339	2,284	6,094	2,498	1,868	2,441	60,866,001.00	26,025,000.00	34,855,000.00	46,375,000.00
22	मेघालय	343	414	1,266	2,256	266	385	1,039	1,682	253	383	1,020	1,650	2,530,000.00	4,120,000.00	12,989,780.00	22,848,700.00
23	मिजोरम	494	163	236	2,362	449	133	131	1,736	445	135	125	1,643	4,450,000.00	2,320,000.00	2,640,000.00	20,060,000.00
24	नागालैंड	1,725	782	1,007	1,948	1,214	464	563	1,294	1,202	467	471	1,257	12,020,000.00	6,345,000.00	8,040,000.00	18,820,000.00
25	ओडिशा	47,008	11,784	25,179	28,455	29,260	7,718	12,983	39,263	27,492	8,994	10,686	37,210	271,730,731.16	105,652,690.00	202,556,700.00	622,391,804.00
26	पुडुचेरी	1,542	369	756	2,313	1,202	169	563	2,470	1,130	226	520	2,437	11,286,498.00	3,355,000.00	9,895,001.00	34,820,000.00
27	पंजाब	64,705	19,359	28,067	127,644	29,466	10,949	12,357	135,012	26,659	13,258	11,366	120,690	264,270,342.00	137,433,522.00	195,986,880.00	1,440,864,749.00
28	राजस्थान	102,738	19,769	52,402	121,682	55,762	12,224	19,055	109,311	50,329	17,024	9,120	99,128	501,615,853.80	170,871,295.00	160,579,100.00	1,265,038,614.00
29	सिक्किम	3	-	13	1,154	1	1	2	1,072	1	1	-	1,052	10,000.00	10,000.00	-	10,530,000.00
30	तमिलनाडु	218,542	106,190	108,949	245,071	110,365	62,706	58,648	267,366	87,710	77,949	60,334	246,760	871,970,690.00	796,659,791.00	1,037,273,843.00	3,418,334,371.00
31	तेलंगाना	380,632	96,426	131,175	156,808	330,507	73,493	98,347	158,141	310,412	87,650	88,588	164,257	3,069,540,685.87	1,404,937,190.00	1,808,405,829.00	3,821,031,299.00
32	त्रिपुरा	3,616	1,092	1,717	2,193	2,633	871	1,043	2,437	2,611	822	994	2,319	26,066,825.00	10,475,000.00	18,720,000.00	37,264,800.00
33	उतार प्रदेश	700,474	188,861	458,641	633,319	594,124	214,957	353,109	640,764	563,731	236,705	346,360	613,331	5,549,886,097.97	2,491,452,541.00	5,558,257,473.00	9,878,460,408.00
34	उत्तराखंड	13,586	3,380	10,679	16,196	9,259	1,946	7,330	15,023	9,112	1,908	7,018	14,419	90,731,368.00	24,165,000.00	118,935,001.00	219,114,500.00
35	पश्चिम बंगाल	11,688	17,167	16,806	216,887	5,215	8,791	4,920	174,630	2,377	11,220	2,694	162,506	23,548,899.00	110,660,707.00	38,315,880.00	1,681,727,170.00
योग		*2,949,987*	*1,260,964*	*2,049,253*	*3,974,546*	*2,202,699*	*992,069*	*1,338,187*	*3,834,003*	*2,057,498*	*1,073,509*	*1,247,418*	*3,521,196*	*20,379,899,940.68*	*12,521,306,136.00*	*20,469,827,280.00*	*51,271,391,068.00*

स्रोतः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अनुबंध-III

राज्य सभा के दिनांक 08.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 737 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

		वि.व. 2020-21			वि.व. 2021-22			वि.व. 2022-23			वि.व.. 2023-24 (26.01.2024 तक)		
क्र.स.	राज्य का नाम	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5,468	123.01	119.32	1,901	77.40	76.53	3,463	127.29	124.34	2,389	92.67	91.00
2	आंध्र प्रदेश	11,52,152	12,028.33	11,564.66	11,17,922	11,829.82	11,445.42	13,48,593	16,450.70	16,212.30	12,88,319	15,313.58	15,066.81
3	अरुणाचल प्रदेश	6,159	179.31	172.12	5,705	90.50	86.51	17,193	224.78	214.59	20,470	237.43	230.27
4	असम	11,89,829	7,657.19	7,399.66	6,82,889	4,866.50	4,577.28	5,99,213	6,300.99	6,182.19	5,48,455	5,036.60	4,944.31
5	बिहार	53,06,694	25,589.31	24,019.78	66,78,155	32,096.95	30,725.07	84,89,231	46,463.15	45,448.59	67,88,055	40,902.17	39,543.34
6	चंडीगढ़	20,295	449.35	432.22	14,926	281.66	273.03	17,261	301.41	293.58	11,418	230.74	223.71
7	छत्तीसगढ	10,27,266	6,746.80	6,423.07	9,70,396	5,929.49	5,797.46	11,14,927	8,391.61	8,262.57	7,46,412	6,414.18	6,001.32
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4,927	81	70	4,397	70	68	5,512	104	102	3,636	75	74
9	दिल्ली	3,30,497	4,130.30	4,003.83	1,94,835	2,616.58	2,559.59	3,37,476	3,800.63	3,759.22	2,37,216	3,242.76	3,169.62
10	गोवा	37,520	553.70	501.47	35,950	491.36	472.87	42,745	719.27	700.19	34,581	599.22	583.89
11	गुजरात	14,30,956	11,579.26	11,313.24	15,90,960	12,152.39	11,990.04	17,84,437	17,668.10	17,507.49	14,61,374	14,774.16	14,568.97
12	हरियाणा	10,05,453	7,552.06	7,303.11	10,57,963	7,768.34	7,574.18	12,18,808	10,154.93	9,944.79	8,35,450	8,115.11	7,828.33
13	हिमाचल प्रदेश	1,30,494	2,365.06	2,163.83	1,07,556	2,152.58	2,027.43	1,51,733	3,133.01	3,080.21	91,360	1,886.73	1,783.88
14	झारखंड	16,68,281	8,471.20	8,177.78	17,77,882	8,817.00	8,615.43	20,56,159	11,266.17	11,097.08	16,87,689	10,120.14	9,956.43
15	कर्नाटक	46,45,196	30,199.18	29,785.29	42,98,481	28,695.29	28,374.92	55,92,066	40,964.95	40,746.09	46,85,231	35,090.87	34,866.80
16	केरल	15,86,258	11,416.45	11,238.55	16,20,168	11,698.12	11,549.58	17,81,474	15,400.47	15,079.22	13,85,660	11,878.93	11,741.07
17	लक्षद्वीप	1,799	23.06	22.94	725	16.66	16.47	1,623	26.81	26.75	1,708	29.68	29.62
18	मध्य प्रदेश	32,49,158	18,474.24	17,822.84	32,31,804	18,814.95	18,218.44	37,01,661	25,301.30	24,632.59	25,35,241	18,884.08	18,037.54
19	महाराष्ट्र	37,54,163	25,208.63	24,624.06	41,58,052	25,797.74	25,416.48	52,53,324	36,531.98	36,104.52	40,82,070	31,993.92	31,680.77
20	मणिपुर	69,906	435.42	406.68	74,138	413.42	379.20	39,744	487.23	471.22	8,559	149.29	142.27
21	मेघालय	40,478	414.67	402.43	16,892	211.84	204.01	24,937	340.62	331.52	23,719	308.87	303.10
22	मिजोरम	12,716	245.30	211.15	11,396	211.29	192.30	23,394	424.40	420.92	23,760	424.26	420.35
23	नागालैंड	19,787	261.07	244.48	15,191	229.00	209.49	15,172	314.62	296.78	16,427	302.09	295.52
24	ओडिशा	36,34,998	15,328.63	14,919.04	36,70,907	16,900.00	16,557.27	39,22,511	21,708.62	21,505.13	27,24,457	16,828.97	16,666.86
25	पांडिचेरी	1,08,775	618.77	606.91	1,31,525	801.43	795.30	98,394	741.23	735.74	1,07,197	814.09	808.13
26	पंजाब	10,94,143	7,413.44	7,065.11	11,09,810	8,179.96	7,926.06	12,59,891	11,055.03	10,766.37	8,42,424	8,413.43	7,843.90
27	राजस्थान	24,81,296	18,571.38	18,223.39	26,67,998	18,999.20	18,728.94	29,77,440	24,686.97	24,492.62	20,93,858	20,229.42	20,058.52
28	सिक्किम	15,356	200.95	193.09	11,059	162.54	156.89	13,805	225.77	219.30	15,658	184.66	178.71
29	तमिलनाडु	49,47,732	28,967.97	28,534.56	56,25,146	32,477.55	32,262.94	64,06,513	43,948.08	43,730.39	53,61,832	40,954.85	40,750.45
30	तेलंगाना	6,36,219	6,947.89	6,765.03	5,33,545	6,168.85	6,010.47	6,39,323	8,134.81	7,995.30	7,05,704	7,850.52	7,660.86
31	त्रिपुरा	3,26,855	2,116.81	2,040.35	3,57,304	2,496.63	2,445.73	3,50,659	2,363.45	2,349.61	2,58,521	1,951.64	1,919.06
32	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	2,94,501	5,513.46	5,401.94	2,62,645	5,788.31	5,696.54	3,30,963	7,317.51	7,219.71	1,88,349	4,416.77	3,984.96
33	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	8,477	228.05	223.75	8,176	233.79	231.55	9,988	288.30	285.87	5,667	173.77	169.05
34	उत्तर प्रदेश	47,38,452	29,231.35	27,875.13	57,87,982	33,663.73	32,850.80	68,08,721	48,194.90	47,427.26	58,75,528	43,276.07	42,451.27
35	उत्तराखंड	3,01,870	3,100.82	2,953.57	3,33,914	3,015.89	2,939.91	4,45,328	4,369.82	4,303.54	3,38,417	3,537.39	3,477.35
36	पश्चिम बंगाल	54,50,920	29,335.98	28,529.86	56,27,231	34,893.20	33,949.81	54,26,916	38,605.21	38,353.85	48,71,493	35,782.22	35,576.69
	योग	**5,07,35,046**	**3,21,759.22**	**3,11,754.44**	**5,37,95,526**	**3,39,110.33**	**3,31,402.19**	**6,23,10,598**	**4,56,538.01**	**4,50,423.65**	**4,99,08,304**	**3,90,515.78**	**3,83,128.66**

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

अनुबंध-**IV**

राज्य सभा के दिनांक 08.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 737 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)

क्र.स.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (30.01.2024 तक)
		अनुमानित सृजित रोज़गार (व्यक्तियों की संख्या)	अनुमानित सृजित रोज़गार (व्यक्तियों की संख्या)	अनुमानित सृजित रोज़गार (व्यक्तियों की संख्या)	अनुमानित सृजित रोज़गार (व्यक्तियों की संख्या)
1	अंडमान निकोबार	1240	1296	968	584
2	आंध्र प्रदेश	13392	19816	24584	30184
3	अरुणाचल प्रदेश	784	1568	1264	1264
4	असम	23512	30840	20768	14608
5	बिहार	17536	19816	35672	40648
6	चंडीगढ़-यूटी	80	168	120	80
7	छत्तीसगढ	21744	24160	20344	11880
8	दिल्ली	592	800	576	352
9	गोवा	464	696	528	392
10	गुजरात*	22832	33144	24568	22256
11	हरियाणा	13920	13808	12472	9352
12	हिमाचल प्रदेश	9664	10192	7440	5680
13	जम्मू कश्मीर	68600	173184	96184	86968
14	झारखंड	12176	13712	14808	12776
15	कर्नाटक	35504	47016	44944	27040
16	केरल	19112	22312	25032	18952
17	लद्दाख	2248	2360	728	840
18	लक्षद्वीप	24	56	16	0
19	मध्य प्रदेश	38832	64656	47656	24304
20	महाराष्ट्र**	24832	33024	29000	16752
21	मणिपुर	12448	9112	4360	2432
22	मेघालय	2872	5592	2448	1760
23	मिजोरम	6480	5200	3296	2808
24	नागालैंड	5920	9928	3752	2752
25	ओडिशा	25368	34408	31040	17504
26	पुडुचेरी	352	528	200	96
27	पंजाब	13216	14320	12512	10144
28	राजस्थान	22176	20792	16296	9856
29	सिक्किम	456	680	456	800
30	तमिलनाडु	41504	47776	49120	41800
31	तेलंगाना	16200	23248	20320	16208
32	त्रिपुरा	6736	7664	5624	3744
33	उत्तर प्रदेश	79952	100752	92808	67472
34	उत्तराखंड	17992	14688	14424	8104
35	पश्चिम बंगाल	16560	18440	17008	12200
	योग	**595320**	**825752**	**681336**	**522592**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अनुबंध-V

राज्य सभा के दिनांक 08.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 737 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वित्तीय वर्षों, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 और चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 (दिनांक 02.02.2024 तक) महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत प्रदान किए गए रोजगार (सृजित मानव दिवसों में) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण (आंकड़ा लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	2593.24	2417.19	2396.03	2229.96
2	अरुणाचल प्रदेश	128.14	158.73	151.35	116.75
3	असम	911.53	916.61	791.31	780.23
4	बिहार	2276.27	1811.79	2369.09	1751.49
5	छत्तीसगढ	1840.90	1692.36	1325.25	963.08
6	गोवा	1.10	0.95	0.94	0.33
7	गुजरात	482.29	568.02	468.09	426.10
8	हरियाणा	179.62	146.40	96.51	99.91
9	हिमाचल प्रदेश	336.19	370.94	307.89	253.95
10	जम्मू और कश्मीर	407.01	406.33	308.95	287.19
11	झारखंड	1176.08	1132.47	915.36	944.31
12	कर्नाटक	1480.32	1634.93	1263.96	1232.73
13	केरल	1023.00	1059.66	965.78	861.01
14	लद्दाख	21.30	19.27	19.56	18.35
15	मध्य प्रदेश	3420.21	3000.13	2265.62	1688.89
16	महाराष्ट्र	679.36	825.42	788.06	811.25
17	मणिपुर	330.52	305.59	74.77	105.32
18	मेघालय	383.70	393.63	289.27	248.58
19	मिजोरम	198.66	200.77	202.33	165.34
20	नागालैंड	180.12	192.58	197.25	177.40
21	ओडिशा	2080.75	1977.94	1853.77	1665.67
22	पंजाब	376.75	331.52	321.19	313.01
23	राजस्थान	4605.35	4242.97	3571.87	2977.12
24	सिक्किम	37.34	34.34	32.48	29.88
25	तमिलनाडु	3339.46	3457.26	3346.61	3874.97
26	तेलंगाना	1579.53	1457.94	1218.70	935.22
27	त्रिपुरा	437.22	426.18	334.55	344.50
28	उत्तर प्रदेश	3945.41	3257.96	3118.59	3026.63
29	उत्तराखंड	303.61	243.18	206.65	157.34
30	पश्चिम बंगाल	4140.17	3642.28	378.76	1.65
31	अण्डमान और निकोबार	2.61	1.14	1.29	0.77
32	लक्षद्वीप	0.02	0.01	0.05	0.03
33	पुडुचेरी	10.57	6.15	8.30	18.20
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.26
	योग	**38908.33**	**36332.63**	**29590.16**	**26507.42**

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार) और नरेगा वेबसाइट से भी

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

अनुबंध–VI

राज्य सभा के दिनांक 08.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 737 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, दिनांक 31.12.2023 तक डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित और नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा:

क्र.स.	राज्य	वि.व. 20-21		वि.व. 21-22		वि.व. 22-23		वि.व. 23-24	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	4156	2177	1606	2135	18651	15690	15328	9534
2	अरुणाचल प्रदेश	28	33	233	71	608	294	414	138
3	असम	1966	3296	3553	916	11889	6277	8070	4546
4	बिहार	2687	2745	7099	2491	11515	7976	5445	3840
5	छत्तीसगढ	1109	3683	6499	2883	9742	8542	2231	2193
6	गुजरात	240	875	830	599	2912	1327	2679	1510
7	हरियाणा	26	1213	1772	680	5518	2686	6644	2494
8	हिमाचल प्रदेश	0	117	334	10	3967	2325	3504	1646
9	जम्मू और कश्मीर	3454	1945	2300	1102	5459	2485	770	927
10	झारखंड	1050	1879	4035	1354	10215	7146	8580	4535
11	कर्नाटक	769	1649	1442	673	3757	2551	2666	1210
12	केरल	3053	2931	3219	1097	8413	5125	4046	1831
13	मध्य प्रदेश	903	969	6825	3977	15653	11987	9250	6748
14	महाराष्ट्र	874	3319	348	1612	6053	3023	3045	1461
15	मणिपुर	338	387	811	139	1921	869	375	326
16	मेघालय	83	158	456	241	2165	1301	1387	857
17	मिजोरम	37	88	105	94	344	319	523	145
18	नागालैंड	221	278	1009	614	2371	1464	1382	1017
19	ओडिशा	7978	7729	10474	4828	16506	12411	2936	3265
20	पंजाब	2922	1931	6976	4188	8119	7646	9895	5521
21	राजस्थान	981	1759	3096	3130	6048	5611	5089	1881
22	सिक्किम	0	43	90	0	859	328	956	252
23	तमिलनाडु	213	1286	8228	2941	15224	9641	10387	4640
24	तेलंगाना	2752	1436	3177	2494	4165	1877	25	93
25	त्रिपुरा	21	609	1049	193	2244	1021	1718	531
26	उत्तर प्रदेश	1540	4068	16898	3765	36509	20271	34974	15313
27	उत्तराखंड	367	416	3645	917	8280	4459	4732	3403
28	पश्चिम बंगाल	521	2544	732	2424	9406	4354	3878	3536
29	पुडुचेरी			165	44	844	261	813	386
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			0	0	133	37	390	117
	योग	**38289**	**49563**	**97006**	**45612**	**229490**	**149304**	**152132**	**83896**

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

राज्य सभा के दिनांक 08.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 737 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियोजित कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या (पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान [2018-19 से 2023-24 (30.01.2024 तक)])

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	24	58	35	18
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	624	62
3	असम	451	2285	7253	324
4	बिहार	617	1539	2098	636
5	छत्तीसगढ	199	119	361	4
6	गोवा	401	787	531	1138
7	गुजरात	5054	7960	3010	893
8	हरियाणा	1048	72	2125	36
9	हिमाचल प्रदेश	431	1301	965	14
10	जम्मू एवं कश्मीर	8	130	849	66
11	झारखंड	711	592	3078	3030
12	कर्नाटक	213	1164	325	0
13	केरल	941	1811	2311	375
14	मध्य प्रदेश	13327	5913	35060	3348
15	महाराष्ट्र	3178	696	714	1053
16	मणिपुर	56	141	5258	3998
17	मेघालय	302	533	401	122
18	मिजोरम	325	307	450	532
19	नागालैंड	158	167	66	82
20	ओडिशा	0	0	0	0
21	पंजाब	4225	9969	14120	8652
22	राजस्थान	2759	4615	4116	2859
23	सिक्किम	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	2596	1261	22955	9920
25	तेलंगाना	0	0	0	0
26	त्रिपुरा	98	280	0	0
27	उत्तर प्रदेश	5880	18155	10380	3320
28	उत्तराखंड	162	134	458	19
29	पश्चिम बंगाल	696	1779	1526	95
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	198	1405	945	127
32	दिल्ली	52	270	310	114
33	पुडुचेरी	25	76	154	86
34	लद्दाख	0	0	0	0
	योग	**44,135**	**63,519**	**1,20,478**	**40,923**

स्रोतः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय